ORDER SHEET (cont.)

Date of Order	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of parties
or Proceeding		or Pleaders where
		necessary
01-08-2013	वादी द्वारा श्री खेमेन्द्रनाथ ऐडे अधिवक्ता ।	
	प्रतिवादी क्रमॉक 1 द्वारा श्री एम.पी. राव अधिवक्ता ।	
	प्रतिवादी कृमॉक 2 एवं 3 द्वारा श्री आर.डी. सेन	
	अधिवक्ता ।	
	प्रतिवादी कृमॉक ४ से 10 अनुपस्थित / अनिर्वाहित ।	
	प्रतिवादी क्रमॉक 1 द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 7 नियम	
	11 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादी के द्वारा	
	प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रतिवादी के द्वारा विक्रय पत्र दिनॉक 17.	
	11.2003, दिनॉक 25.02.2006 एवं 21.08.2008 के विक्रय पत्रों के	
	अन्तर्गत क्रय की गई सम्पत्ति के अन्तर्गत उक्त विक्रय पत्रों के	
	आधार पर किये गये नामांतरण दिनॉक 21.05.2002 को अवैध एवं	
	प्रभावशून्य करने तथा विक्रय पत्रों के अन्तर्गत प्रतिवादी के	
	अधिकार प्राप्त न होने के कथन करते दांवा पेश किया गया है ।	
	वास्तव में वादी के द्वारा विक्रय पत्र को निष्प्रभावी घोषित किये	
	जाने हेतु संस्थित किया गया है । जो न्यायालय शुल्क अधिनियम	
	के अनुसार विक्रय पत्र में दर्शायी बाजार भाव मूल्य के मान से	
	वाद का मूल्यांकन कर अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया	
	जाना था । प्रश्नगत सम्पत्ति में ही बाजार भाव मूल्य विक्रय पत्र	
	दिनांक 17.11.2003 में 1,74,500 / —रूपये (एक लाख चवहत्तर	
	हजार पॉच सौ रूपये) दिनांक 25.02.2006 का बाजार भाव मूल्य	
	2,30,500 / —रूपये (दो लाख तीस हजार पॉच सौ रूपये) एवं	
	दिनॉक 21.08.2008 का विक्रय पत्र में बाजार भाव मूल्य	

18,28,000 / —रूपये (अट्ठारह लाख अठ्ठाईस हजार रूपये) दर्शाया गया है । इस तरह कुल विक्रय पत्रों का बाजार भाव मूल्य 22,33,000 / —रूपये (बाईस लाख तैंतीस हजार रूपये) होता है जबिक न्यायालय का आर्थिक सुनाई का क्षेत्राधिकार 10,00,000 / —रूपये है । इन परिस्थितियों में वाद सुनवाई हेतु उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने वापस किया जाना विधि प्रावधानों के अनुसार उचित होगा । अतः उचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है । प्रतिवादी की ओर से निम्न न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं — रामप्रसाद अग्रवाल विरूद्ध भगवानदास 2003 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 8, जीवनलाल विरूद्ध दीपचंद 2013 (3) एम.पी.एल.जे. एवं गणेशप्रसाद नामदेव विरूद्ध ब्योहार राजेन्द्रसिंह 1979 II एम.पी.डब्ल्यू.एन. 29.

वादी द्वारा आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्य०प्र०सं० का जवाब प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि आवेदन पत्र की कंडिका 1 के मजमून में किये गये कथन में यह बात अस्वीकार है कि दिनॉक 26.02.2006 को निष्पादित बिकी पत्र शुन्य घोषित किये जाने के लिए वादी द्वारा लाया गया है । इस कंडिका में यह अस्वीकार किया है कि न्यायशुल्क अधिनियम के अनुसार बिकी पत्र में दर्शायी बाजार भावमूल्य के मान से वाद का मूल्यांकन कर अधिकारियों वाले न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना था । आवेदन पत्र की कंडिका 2 के मजमून में किये गये कथन में यह अस्वीकार किया है कि विक्य पत्र दिनॉक 07.11.2003 में 1,74,500 / —रूपये (एक लाख चवहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) दिनांक 25.02.2006 का बाजार भाव मूल्य 2,30,500 / —रूपये (दो लाख तीस हजार पाँच सौ रूपये) एवं दिनॉक 21.08.2008 का विक्य पत्र में बाजार भाव मूल्य 18,28,000 / —रूपये (अट्ठारह लाख अठ्ठाईस हजार रूपये) दर्शाया गया है । दरअसल में

वादी द्वारा अपने वादपत्र में दिनॉक 17.11.2003 के बिकी पत्र का बाजार मूल्य 1,80,000 / —रूपये (एक लाख अस्सी हजार रूपये) तथा दिनॉक 21.08.2008 के बिकी पत्र का बाजार भाव मूल्य 7,00,000 / —रूपये (सात लाख रूपये) दर्शाया गया है, जो बिकीपत्र में लिखा गया है । यह भी अस्वीकार किया है कि कुछ बिकी पत्रों का बाजार मूल्य 22,33,000 / —रूपये (बावीस लाख तैंतीस हजार रूपये) होता है । यह भी अस्वीकार किया है कि इन परिस्थितियों में वाद की सुनवाई उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने वापस किया जाना विधि प्रावधानों के अनुसार उचित होगा । प्रतिवादी क्रमॉक 1 उक्त वाद में विलम्ब करने की नियत से किसी न किसी रूप में आवेदन पेश कर वादी को परेशान करता रहता है तथा न्यायालय का समय बर्बाद करता है जिससे न्यायालय में प्रतिवादी क्रमॉक 1 का आवेदन सव्यय खारिज किया जावे ।

वादी की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क में व्यक्त किया गया है कि वादी तथा प्रतिवादी क्रमॉक 2 का पिता तथा प्रतिवादी क्रमॉक 3 का पित स्व0 अजयिसंह द्वारा जयवंतीबाई पित जयमंगलिसंह का एकमात्र वारसान के रूप में वह पुत्र है, वादी की विवादित भूमि पर जयवंतीबाई के नाम की जगह अपना नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज करा लिया है । अजयिसंह द्वारा उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमॉक 1 को बिक्री कर दिया है । तहसीलदार एवं नजूल अधिकारी बालाघाट द्वारा दिनॉक 31.05. 2002 को अपना आदेश पारित करते हुए अजयिसंह का नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए गए । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी क्रमॉक 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । उक्त अपील को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए नजूल अधिकारी बालाघाट द्वारा पारित आदेश दिनॉक 31.05.2002 निरस्त करते हुए सभी पक्षकारों पारित आदेश दिनॉक 31.05.2002 निरस्त करते हुए सभी पक्षकारों

को सुना जाकर आदेश पारित करते हुए प्रकरण नजूल अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में भेज दिया । नजूल अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में उभय पक्ष अनुपस्थित रहने के कारण नजूल अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण खारिज कर दिया । प्रतिवादी क्रमॉक 1 द्वारा आदेश 31 नियम 1 एवं 2 सहपठित सहपठित धारा 151 व्य०प्र०सं० का जवाब प्रस्तुत किया है, किंतु उक्त वाद मूलवाद का जवाब आज दिनांक तक पेश नहीं किया है । इसके सिवाय प्रतिवादी क्रमॉक 2 तथा 3 द्वारा मूलवाद तथा आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 व्य०प्र०सं० का जवाब प्रस्तुत किया है । उक्त वाद में शेष प्रतिवादीगण को समंस तामील नहीं हो पाई है । ऐसी दशा में आदेश ७ नियम ११ व्य०प्र०सं० के आवेदन की सुनवाई नहीं की जा सकती । उक्त आवेदन के पूर्व भी प्रतिवादी कुमॉक 1 के द्वारा आदेश 21 नियम 4 व्य०प्र०सं० का आवेदन ग्रीष्मकालीन अवकाश में पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है । वादी द्वारा आदेश 11 नियम 11 तथा आदेश 12 नियम 8 व्य०प्र०सं० का आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु प्रतिवादी क्रमॉक 1 द्वारा उक्त आवेदन का जवाब देने से इंकार किया है । उक्त आवेदनों पर आदेश होना शेष है । उक्त वाद में। प्रतिवादी क्रमॉक 1 के आवेदन आदेश 7 नियम 11 में दिए गए आवेदन में यह बताया गया है कि उक्त वाद न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत नहीं है । जबकि वादी द्वारा लाया द्वारा पटोलाबाई को दिनॉक 17.111.2003 1,80,000 / –रूपये (एक लाख अस्सी हजार रूपये) का बिकी पत्र है तथा दिनॉक 21.08.2008 को 7,00,000 / – रूपये (सात लाख रूपये) का बिकी पत्र तहरीर कराया गया । इस प्रकार जुमला ८,८०,००० / –रूपये (आठ लाख अस्सी हजार रूपये) के बिकी पत्र है, जो न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते समय पेश किए

जा चुके हैं, जिनके आधार पर ही वाद लाया गया है जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है । वाद मूल्यांकन का जहाँ तक संबंध है उस पर प्रतिवादी कमॉक 1 द्वारा मूल वाद का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही सभी प्रतिवादी को समंस तामीली हो पाई है, उक्त वाद में सभी प्रतिवादीगण की उपस्थिति उपरांत जवाब दावे के बाद उक्त विषय पर वाद प्रश्न तैयार किए जायेंगे और उस पर सुने जाने के बाद या उस समय उक्त आवेदन पर विचार किया जा सकता है । वाद के मूल्यांकन के विषय पर वर्तमान में सुना नहीं जा सकता । प्रतिवादी, वादी द्वारा मौखिक बहस के समय इस विषय वस्तु को छोड़कर धारा 3 के अधीन तर्क प्रस्तुत किए जो न्यायोचित ना होकर गलत है । विवादित सम्पत्ति वादी की दादी जयवंतीबाई के नाम राजस्व प्रलेखों में वर्ष 2009 तक दर्ज चली आ रही है । उक्त सम्पत्ति पर वादी के पिता जो तीन भाई थे, ऐसी दशा में वादी के पिता अजयसिंह को उक्त विवादित सम्पत्ति में 1/3 हिस्सा प्राप्त होता और उसके उपरांत उक्त सम्पत्ति पर वादी के पिता के मरणोपरांत वादी की मॉ प्रतिवादी क्रमॉक 3 एवं भाई प्रतिवादी क्रमॉक 2 एवं वादी का बराबर का 1/3 हिस्सा । इस प्रकार

विवादित सम्पूर्ण सम्पत्ति पर वादी का 1/9 हिस्सा आता है । ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमॉक 1 का वाद मूल्यांकन के विषय पर यह कहना उचित नहीं होगा कि बिक्री पत्र के आधार पर वाद का मूल्यांकन किया जावे । यदि बिक्री पत्र के आधार पर भी मूल्यांकन किया जाता है तो वादी को 1/9 हिस्सा आता है, उसी आधार पर न्यायशुल्क अधिक से अधिक चस्पा की जा सकती है । किन्तु प्रतिवादी क्रमॉक 1 द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण और वाद प्रश्न न बनने के कारण वाद मूल्यांकन के विषय पर विचार न्यायहित में नहीं किया जा सकता । अतः प्रतिवादी क्रमॉक

1 द्वारा लाया गया आवेदन वादी जो गरीब असहाय व्यक्ति होकर एक पोलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षाध्ययन व्यक्ति है, जिसे तंग त्रास करने की नियत से तथा मात्र आवेदन होने से सव्यय खारिज किये जाने योग्य है । अतः प्रतिवादी का आवेदन सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है ।

वाद का अवलोकन किया गया । वादी द्वारा यह दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध विक्रय पत्र दिनॉक 25.08.2008 को शुन्य घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवादी क्रमॉक 1 पटोलाबाई उक्त विक्रय पत्र की पक्षकार है । अतः विक्रय पत्र में वाद का मूल्यांकन सम्पत्ति के बाजार मूल्य 18,28,000/—रूपये (अट्टारह लाख अट्टाईस हजार रूपये) के अनुसार किया जाना चाहिए । किन्तु वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन विधि अनुसार न करते हुए घोषणार्थ न्यायशुल्क 1,000/—रूपये तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु न्याय शुल्क 200/—रूपये चस्पा किया गया है ।

अतः वाद इस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न होने से प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 10 व्य०प्र०सं० के अन्तर्गत मानते हुए स्वीकृत किया जाता है तथा वादी को आदेशित किया जाता है कि इस न्यायालय से विवादित अपना वाद पत्र वापस लेकर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

वादपत्र में पृष्ठांकन लगाया जाकर वादी को वादपत्र वापस किया जावे । शेष अभिलेख व्यवस्थित कर अभिलेखागार भेजा जावे ।

> प्रतिभा साठवणे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 बालाघाट